क्रम-संख्या—245

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 4 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 13, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1628/सत्रह—वि—1—1 (क)-12-2002

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

(2) धारा 2 दिनांक 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 में नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"6-क–(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4-क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी विहित की जाय, निपटाया जायगा :

निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायगा, न ही जारी रखा जायगा या न ही निपटाया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।"

धारा 48 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 48 में, स्पष्टीकरण (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण (3)**–इस धारा के अधीन किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परीक्षण करने के अधिकार में कोई निष्कर्ष, चाहे वह किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो, सम्मिलित है और इसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2002 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 को अधिनियमित किया गया है। चूंकि उक्त अधिनियम में धारा 4-क की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही आरम्भ होने के पूर्व अन्तरण या उत्तराधिकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई उपबन्ध नहीं था जिसके कारण कृषकों को कृषि

प्रयोजनों के लिए ऋण और अन्य लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके चकबन्दी कर्ताओं और सहायक चकबन्दी अधिकारियों को क्रमशः निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामलों का निपटारा करने के लिए सशक्त किया जाय।

2—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

3—उपर्युक्त अधिनियम की धारा 48 में चकबन्दी संचालक को किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किये गये किसी मामले या की गयी कार्यवाहियों के अभिलेख को, उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में या उस मामले या कार्यवाही में ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए, मांग सकने और उसकी जांच करा सकने और संबंधित पक्षकारों को, सुनवाई अवसर देने के पश्चात्, उस मामले या कार्यवाही में ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे, दे सकने के लिए सशक्त करने की व्यवस्था की गयी है। गयादीन बनाम हनुमान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया है कि पुनरीक्षण अधिकार के अन्तर्गत अपीलीय अधिकार नहीं आ सकता है और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने विनिश्चयों में लिये गये तथ्यात्मक निष्कर्षों को संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक या सहायक संचालक, चकबन्दी द्वारा उपान्तरित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के उक्त विनिश्चय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी त्रुटियों को सुधारा नहीं जा सकता है जिससे पक्षकारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित कर यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परीक्षण करने के अधिकार में, कोई निष्कर्ष चाहे वह तथ्य का हो, या विधि का हो, सम्मिलित है और उसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

4—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

5—यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1628(2)/XVII-V-1-1(KA)-12-2002

Dated Lucknow, September 4, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jot Chakbandi (Sanshodhan) Adhniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhniyam Sankhya 3 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 3, 2002:—

THE UTTAR PRADESH CONSOLIDATION OF HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 2002

(U. P. ACT NO. 3 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 2002.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on June 21, 2002, section 3 shall be deemed to have come into force on November 10, 1980 and the remaining provisions shall come into force at once.

Insertion of new section 6-A in U. P. Act no. 5 of 1954

2. *After* section 6 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:–

"6-A (1) After the publication of notification under sub-section (2) of section 4 or section 4-A and before start of the proceeding under section 8, a case of undisputed succession shall be disposed of by the Consolidator, and a case of undisputed mutation on the basis of transfer shall be disposed of by the Assistant Consolidation Officer, in such manner and after making such inquiry as may be prescribed :

Special provision with respect to undisputed succession or transfer

Provided that no case shall be entertained, continued or disposed of under this section after start of the proceeding under section 8.

(2) An order made under sub-section (1) shall not be a bar to an objection under section 9."

Amendment of section 48

3. In section 48 of the principal Act, *after* explanation (2) the following explanation shall be *inserted,* namely :–

"*Explanation* (3) The power under this section to examine the correctness, legality or propriety of any order includes the power to examine any finding, whether of fact or law, recorded by any subordinate authority, and also includes the power to re-appreciate any oral or documentary evidence."

Repeal and saving

4.(1) The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Ordinance, 2002 and the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Second Amendment) Ordinance, 2002 are hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 3 of 2002 and U.P. Ordinance no. 12 of 2002

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A. B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 has been enacted to provide for the consolidation of agricultural holdings in Uttar Pradesh for the development of agriculture. As there was no provision in the said Act for the disposal of the cases of the transfer or succession after the publication of notification under sub-section (2) of section 4-A and before start of the proceeding under section 8 due to which the farmers were facing difficulty in getting loan for agricultural purposes and other benefits, it was decided to amend the said Act to provide for empowering the Consolidators and the Assistant Consolidation Officers to dispose of cases of undisputed succession and the cases of undisputed mutation on the basis of transfer, respectively.

2. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 3 of 2002) was promulgated by the Governor on June 21, 2002.

3. Section 48 of the aforesaid Act provides for empowering the Director of Consolidation to call for and examine the record of any case decided or proceedings taken by any subordinate authority for the purpose of satisfying himself as to the regularity of the proceedings or as to the correctness, legality or propriety of any order passed by such authority in the case or proceedings and to make, after allowing the parties concerned an apportunity of being heard, such order in the case or proceedings as he thinks fit. In the case of Gayadeen *Versus* Hanuman, the Supreme Court has decided that the revisional power may not include appellate power and the factual conclusions drawn by the subordinate Courts in their decisions can not be modified by the Director, Additional Director, Joint Director, Deputy Director or the Assistant Director of Consolidation. In accordance with the said decision of the Supreme Court errors of the subordinate Courts cannot be rectified due to which the parties have to face many problems. It was, therefore decided to amend the aforesaid Act to clarify that to examine the correctness, legality or propriety of any order includes the power to examine any finding, whether of fact or law and also includes the power to re-appreciate any oral or documentary evidence.

4. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the decision mentioned in para 3 above, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Second Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 12 of 2002) was promulgated by the Governor on July 10, 2002.

5. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinances.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 541 राजपत्र (हि०)–(1261)–2002–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 148 सा० विधायी–(1262)–2002–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।